E Mail I.D.:- cfgarhwalp@gmail.comcfgarhwal555@gmail.com , Phone & Fax :- 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांकः– 1643 /12-1 ,दिनांक, पौड़ी, ,15/2/ 2024.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

विषयः– **मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड थराली के विकासखखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड) में रूईसाण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का वन भूमि हस्तान्तरण। प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/146251/2021**

सन्दर्भः– **आपकी पत्र सं0 2925/12–1 दिनांक 07.12.2023**

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय पत्रांक 1644/12–1 दिनांक 03.01.2023 से 14 बिन्दुओं में सूचना चाही गई थी जिसके क्रम में आपके द्वारा सन्दर्भित पत्र से सूचना ऑफलाईन तथा दिनांक 29.01.2024 से ऑनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित की गई है का अवलोकन करने पर इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक 03.01.2023 से चाही गई सूचनाओं/कमियों के अनुरूप आपके द्वारा उनका निराकरण नहीं किया गया है। निम्न बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट की जानी आवश्यक है–

(क) इस कार्यालय पत्रांक 1644/12–1 दिनांक 03.01.2023 के अनुसार–

1. बिन्दु सं0–05 के उत्तर में आपके द्वारा लिखा गया है कि प्रस्ताव में 445 वृक्षों को ऑनलाईन पार्ट–।। के पैरा 4(ii) में अंकित कर दिया गया है जबकि ऑनलाईन पार्ट–।। के पैरा 4(ii) में वृक्षों की सं0–384 दर्शित हो रही है के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।
2. बिन्दु सं0–06 के क्रम में ऑलाईन पार्ट–।। के पैरा 4(ii) में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं किया गया है।
3. बिन्दु सं0–07 एवं 09 का निराकरण नहीं किया गया है। साथ ही परियोजना में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण सही से अंकित किया जाए।

उक्त से स्पष्ट है कि कि न तो सम्बन्धित शाखा प्रभारी द्वारा और ना ही आपके द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में उच्चस्तर से चाही गई सूचनाओं में ध्यान दिया जा रहा है जो कि उचित नहीं है। इस ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट है।

(ख)– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है–

a- In respect of linear projects, the stiuplated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and soil and moisture conservation plan, as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022, will be proportionate to the extenet of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charge from the user agency.

क्रमशः पेज 02 पर

//Jaideep//

E Mail I.D.:- cfgarhwalp@gmail.comcfgarhwal555@gmail.com , Phone & Fax :- 01368-222566

b- The provisions of Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan shall be approved by the competent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and/or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account.

उक्तानुसार Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड किया जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार सुस्पष्ट सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

//Jaideep//